

राजस्थान-सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 58 / 2023

बउनवान
सुमेर सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी झरनिया तहसील छीपाबडौद
(अपीलांट)
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद
(रिस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित :- 1- श्री भगवान सिंह हाड़ा अभिभाषक
2- परोकार सरकार
(अपीलांट)
(रिस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 04.07.2023

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 101/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम झरनिया जागीर की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 13 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल पड़त की जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 24.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रिस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नहीं किया गया है तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पैमाईश भी नहीं की है और न ही पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किए निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है। यह कि अपीलांट ने जुर्माना भी जमा करा दिया है तथा किसी भी सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। उक्त आराजी खाली पड़ी हुई है जिसके लगवां अपीलांट के खातेदारी की आराजियात स्थित है। अपीलांट अत्यंत गरीब 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलांट लकवा की बीमारी से पीड़ित है जो वर्तमान में जैरइलाज है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2022 प्रकरण संख्या 101/2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल पड़त की जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई थी। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 101/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांत को उक्त आदेश से दी गई (01 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांत विवादित आराजी वाके ग्राम झरनिया जागीर के खसरा नम्बर 13 रकबा 01 बीघा भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 101/2022 में पारित आदेश दि. 28.11.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **04.07.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला कलक्टर
बारों